



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012020-215686  
CG-DL-E-25012020-215686

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941

No. 42]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 और 26 ख के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) से (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 में, —

- (क) आरम्भिक पैरा में “धारा 20” अंकों और शब्दों के स्थान पर “धारा 20 और 26ख” शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।
- (ख) नियम 4, उप नियम (2घ) में निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (2ड.) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य च) के उप-खंड (i) और (ii) में निर्देशित किये गये सहित किसी उधारकर्ता द्वारा अन्य उधारदाताओं के पक्ष में किसी भी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व अथवा हित के सृजन, उपांतरण अथवा संतुष्टिकरण की विशिष्टियों को (i) ई-हस्ताक्षर (आधार आधारित वन टाइम पास वर्ड विधिमान्यकरण के माध्यम से) अथवा (ii) डिजिटल हस्ताक्षर; अथवा (iii) सीकेवाईसी संख्या, जैसा भी संदर्भ हो, के माध्यम से प्ररूप संख्या-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2च) करदाताओं की विशिष्टियों और कर अथवा अन्य सरकारी शोधय सहित अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (4) में निर्देशित किये गये अनुसार कुर्की आदेश की विशिष्टियों को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्ररूप संख्या-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाएगा और ऐसे कुर्की आदेश के उपांतरण अथवा संतुष्टिकरण पर विशिष्टियों को प्ररूप संख्या-1 अथवा प्ररूप संख्या-II, जैसा भी संदर्भ हो, में फाइल किया जाएगा।
- (2छ) धारा 26ख की उपधारा (5) में निर्देशित न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश की विशिष्टियों को प्ररूप संख्या-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जाएगा, जिसके पक्ष में इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हो और ऐसे कुर्की आदेशों में संशोधन अथवा संतुष्टिकरण की विशिष्टियों को (i) ई-हस्ताक्षर (आधार आधारित वन टाइम पास वर्ड विधिमान्यकरण के जरिये) अथवा (ii) डिजिटल हस्ताक्षर; अथवा (iii) सीकेवाईसी संख्या, जैसा भी मामला हो, के जरिये प्ररूप संख्या-1 अथवा 2 में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) नियम 5 का लोप किया जाएगा:
- (घ) क्रम संख्या 10 के पश्चात सारणी में, नियम 7 में निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

क्र.सं.	रजिस्ट्री किये जाने वाले लेन-देन का स्वरूप	नियम	प्ररूप संख्या	देय शुल्क की राशि
1	2	3	4	5
“11.	उधारकर्ता द्वारा किसी संपत्ति पर प्रतिभूत उधारदाता के अलावा किसी अन्य उधारदाता के पक्ष में सृजित किसी भी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व अथवा हित के उपांतरण अथवा संतुष्टिकरण की विशिष्टियां	नियम 4 का उप नियम (2ड.)	प्ररूप I	5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के प्रतिभूति हित के सृजन तथा किसी अनुवर्ती उपांतरण के लिए 100 रुपये। 5 लाख रुपये तक के ऋण के प्रतिभूति हित के सृजन तथा उपांतरण, दोनों के लिए 50 रुपये।
12.	करदाताओं की विशिष्टियां तथा कर अथवा अन्य सरकारी बकाया राशि के ब्यौरे सहित अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (4) में निर्देश किये गये अनुसार कुर्की आदेशों की विशिष्टियां	नियम 4 का उप नियम (2ड.)	प्ररूप I	शून्य
13.	किसी व्यक्ति के पक्ष में धारा 26ख की	नियम 4	प्ररूप I	5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के प्रतिभूति

	उपधारा (5) में निर्देशित न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश का ब्यौरा	का उप नियम (2छ)	हित के सृजन तथा किसी अनुवर्ती उपांतरण के लिए 100 रुपये। 5 लाख रुपये तक के ऋण के प्रतिभूति हित के सृजन तथा उपांतरण, दोनो के लिए 50 रुपये।”
--	--	-----------------	---

[फा.सं. 3/1/2017-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि.276(अ.), 31 मार्च, 2011 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् 15 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.310(अ.) के द्वारा संशोधित किया गया था तथा इसमें अंतिम संशोधन 22 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.102(अ.) के द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2020

**G.S.R. 45(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) to (g) of sub-section (2) of section 38 read with sections 20 and 26 B of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011, namely:—

1. Short title and commencement: —
  - (1) These rules may be called the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) (Amendment) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011,
  - (a) in the opening para for the word and figures “section 20”, the words and figures “sections 20 and 26B” shall be substituted,
  - (b) in rule 4, sub-rule (2D) the following new sub-rules, shall be inserted namely:—
    - (2E) Particulars of creation, modification or satisfaction of a right, title or interest of any kind, including those referred to in sub- clauses (i) and (ii) of clause (zf) of sub-section (1) of section 2 of the Act created by a borrower in favour of other creditors shall be filed in Form number I, through (i) e sign (through an Aadhaar based One Time Password validation); or (ii) digital signature ; or (iii) CKYC number, as the case may be.
    - (2F) Particulars of attachment orders as referred to in sub-section (4) of section 26B of the Act with the particulars of the assesses and details of tax or other Government dues shall be filed electronically by the officers authorised in that behalf by such authority of the Central Government or the State Government or local authority in Form number I, and particulars of modification or satisfaction of such attachment orders shall be filed in Form number I or Form number II as the case may be.
    - (2G) Particulars of attachment orders passed by a court or other authority

referred to in sub-section (5) of section 26B shall be filed electronically by the person in whose favour such orders have been passed in Form number I and the particulars of modification or satisfaction of such attachment orders shall be filed in Form number I or Form number II through (i) e sign (through an Aadhar based One Time Password validation) ; or (ii) digital signature ; or (iii) CKYC number, as the case may be.

(c) rule 5 shall be omitted;

(d) in rule 7 in the Table after serial no.10, the following serial numbers and entries shall be inserted namely: —

S.No.	Nature of transaction to be registered	Rule	Form No.	Amount of fee payable.
1	2	3	4	5
“11.	Particulars of creation, modification or satisfaction of a right, title or interest of any kind, over any property created by a borrower in favour of a creditor other than a secured creditor	Sub-rule (2E) of rule 4.	Form I	Rs.100 for creation and for any subsequent modification of security interest for a loan above Rs.5 lakh. For a loan upto Rs.5 lakh, the fee would be Rs.50 for both creation and modification of security interest.
12.	Particulars of Attachment orders as referred to in sub. section (4) of section 26 B of the Act with the particulars of the assesses and details of tax or other Government dues	Sub-rule (2F) of rule 4	Form I	Nil
13.	Particulars of attachment orders passed by a court or other authority referred to in sub. section (5) of section 26 B in favour of a person.	Sub-rule (2G) of rule 4	Form I	Rs.100 for creation and for any subsequent modification of security interest for a loan above Rs.5 lakh. For a loan upto Rs.5 lakh, the fee would be Rs.50 for both creation and modification of security interest.”

[F. No. 3/1/2017- DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3 Sub-section (i), *vide* number G.S.R.276 (E), dated the 31st March, 2011 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 310 (E), dated the 15th May, 2013 and last amended *vide* notification number G.S.R.102( E), dated the 22nd January, 2016.